

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 553 / 2008 / जयपुर

मैसर्स त्रिलोक खण्डेलवाल एण्ड क०

217, सौंखिया का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त (विधि), वा.क.वि. राजस्थान, जयपुर।
2. मैसर्स इण्डियन जिप्सम लि०, जयपुर
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
जोन-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

2. अपील संख्या 205 / 2010 / जयपुर

3. अपील संख्या 206 / 2010 / जयपुर

4. अपील संख्या 207 / 2010 / जयपुर

5. अपील संख्या 208 / 2010 / जयपुर

6. अपील संख्या 209 / 2010 / जयपुर

7. अपील संख्या 210 / 2010 / जयपुर

8. अपील संख्या 573 / 2011 / जयपुर

मैसर्स त्रिलोक खण्डेलवाल एण्ड क०

217, सौंखिया का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
जयपुर जोन-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

9. अपील संख्या 1023 / 2010 / जयपुर

10. अपील संख्या 1024 / 2010 / जयपुर

11. अपील संख्या 1025 / 2010 / जयपुर

12. अपील संख्या 1026 / 2010 / जयपुर

13. अपील संख्या 1027 / 2010 / जयपुर

14. अपील संख्या 1028 / 2010 / जयपुर

15. अपील संख्या 556 / 2011 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
जोन-तृतीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स त्रिलोक खण्डेलवाल एण्ड क०

217, सौंखिया का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अशोक हंसारिया, अभिभाषक।

.....व्यवहारी पक्ष की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व पक्ष की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.11.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील क्रमांक 1 विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि), वाणिज्यिक कर, राजस्थान के आदेश जो उनके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसको आगे से "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 36 के तहत पारित आदेश दिनांक 27.09.2007 तथा अपील क्रमांक 2 से 8 उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2010 के लगातार.....2

विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित (निम्न चार्ट के अनुसार) आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित किया है। अपील क्रमांक 9 से 15 राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.01.2010 एवं 10.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने करवंचना हेतु आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज
553/08	अति. आयु. का आदेश 27.09.2007	27.9.07				
205/10	166/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	21,186	-	3,604
206/10	167/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	52,335	-	7,322
207/10	168/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	14,006	-	1,540
208/10	169/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	62,471	-	5,000
209/10	170/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07-08	40,990	-	2,050
210/10	171/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07-08	44,462	-	890
573/11	47/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	10.03.10	07-08	23,127	-	6,940
1023/10	171/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07-08	-	88,924	-
1024/10	169/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	-	1,24,942	-
1025/10	168/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	-	28,012	-
1026/10	170/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07-08	-	81,980	-
1027/10	166/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	-	42,372	-
1028/10	167/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06-07	-	1,04,670	-
556/11	47/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	10.03.10	07-08	-	46,254	-

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत मैसर्स इण्डियन जिप्सम लि0 के प्रकरण में जिप्सम बोर्ड/टाईल्स पर कर दर विनिश्चयीकरण हेतु आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 तदनु रूप अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 56 में अंकित "Gypsum of all forms" के तहत 4 प्रतिशत कर देय है अथवा नहीं, पर विनिश्चीकरण चाहा गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विधिक निर्णय देते हुए अतिरिक्त आयुक्त (विधि) ने अपने आदेश दिनांक 27.09.2007 के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि जिप्सम बोर्ड/टाईल्स "Gypsum of all forms" में शुमार न होकर अलग वाणिज्यिक उत्पाद होने से इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के उक्त आदेश के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी ने उक्त अपीलाधीन चार्ट में वर्णित वर्ष 2006-07 से 2007-08 तक के आदेश पारित कर मांग सृजित की जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2010 से प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपील क्रम संख्या 2 से 8 प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 25.01.2010 एवं 10.01.2011 में शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर राजस्व ने भी अपील क्रम संख्या 9 से 15 तक प्रस्तुत की है। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के आदेश के फलस्वरूप उक्त मांगे सृजित हुई, को भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है।

लगातार.....3

3. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल राजकोष में जमा करवाया गया है। किन्तु निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (विधि) द्वारा जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को अधिनियम के शिड्यूल V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना विनिश्चित करने पर जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री पर 8.5 की दर से अंतर कर आरोपित किया है तथा आरोपित अंतर के अदत्त रहने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है। कर निर्धारण आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं। जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया एवं जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित करते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा एवं विभाग द्वारा निम्न तालिका में वर्णित राशियों को विवादित करते हुए यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। चूंकि सभी अपीलों में समान तथ्य विवादित है अतः इनका निष्पादन एक ही आदेश में किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. बहस के विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि व्यवहारी द्वारा जिप्सम बोर्ड की खरीद मैसर्स इण्डिया जिप्सम लिमिटेड से की जाकर विक्रय किया जाता है। मैसर्स इण्डिया जिप्सम लिमिटेड द्वारा कच्ची (raw form) जिप्सम की अशुद्धियां हटाकर बारीक पाउडर में संपरिवष्कृत रूप से तैयार जिप्सम को नीचे के (bottom) कागज पर फैलाकर (spread) इसके उपरर्तित किया जाकर बार में इसमें पानी, फॉम आदि मिश्रित कर अतिरिक्त प्रसंस्करण द्वारा परि का कागज नीचे के कागज से चिपकाया जाता है एवं इसे मुख्य फॉर्मिंग बेल्ट कन्वेयर पर शिफ्ट कर जिप्सम बोर्ड का विनिर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह जिप्सम बोर्ड जिप्सम का ही एक रूप है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि मैसर्स इण्डिया जिप्सम लि. द्वारा अपने उत्पाद जिप्सम बोर्ड पर कर देयता के विनिश्चयन हेतु अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के संबंध में सुनवाई के दौरान "Gypsum in all its forms" एवं "Gypsum of all forms" में कोई अंतर नहीं होने तथा इसमें जिप्सम बोर्ड कवर होने बाबत विधिक स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी। इसके बावजूद विद्वान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम के परिशिष्ट IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" होने एवं मैसर्स इण्डिया जिप्सम लिमिटेड के आवेदन पत्र में "Gypsum of all forms" अंकित किये जाने के आधार पर जिप्सम बोर्ड को वाणिज्यिक रूप से भिन्न उत्पाद मानते हुए इसके वेट अधिनियम की अनुसूची - IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि में आच्छादित नहीं होने एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता बाबत पारित किया गया विवादित आदेश विधि की निश्चित प्रतिपादन के विरुद्ध अवैध एवं अनुचित है।

लगातार.....4

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का विवादित उत्पाद जिप्सम बोर्ड वेट अधिनियम की अनुसूची IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" में कवर होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत इण्डिया कार्बन लि. बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ टेक्सेज गुहाटी व अन्य (1971) 28 एसटीसी 603, बिहार राज्य व अन्य बनाम यूनिवर्सल हाइड्रोकार्बन कम्पनी लि. व अन्य (1995) 96 एसटीसी 204, गुजरात राज्य बनाम सकरवाला ब्रदर्स (1967) 14 एसटीसी 24 मैसर्स टफ सेफटी ग्लास इण्डस्ट्रीज बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर यू.पी. (2007) 19 टैक्स अपडेट 115 एवं अलादि वेंकटेश्वरलू व अन्य बनाम राज्य सरकार आंध्रप्रदेश व अन्य (1978) 41 एसटीसी 395 तथा माननीय आसाम उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत कपिल देवराम बैजानाथ प्रसाद बनाम जे.के.दास व अन्य (1954) 5 एसटीसी 365, माननीय देहली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत, घासीराम हरीराम बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर देहली (1972) 30 एसटीसी 88 एवं माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आयुक्त वाणिज्यिक कर मुम्बई बनाम इण्डिया जिप्सम लिमिटेड (2009) 25 वीएसटी 210 को प्रोद्धरित किया गया।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अग्रिम कथन किया कि उक्त सभी न्यायिक दृष्टांत अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष उद्धरित किये गये थे, परन्तु उनके द्वारा इन न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से यह अभिनिर्धारित किया गया कि "Gypsum in all its forms" की प्रविष्टि "Gypsum of all forms" से भिन्न होने के कारण व्यवहारी का उत्पाद जिप्सम बोर्ड 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतिरिक्त आयुक्त के उक्त विनिश्चयन संबंधि विवादित आदेश दिनांक 27.09.2007 को चुनौती देते हुए व्यवहारी की ओर से माननीय बोर्ड के समक्ष अपीलें पेश किये जाने से इस आदेश पर निर्भरता करते हुए (relied upon) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन मानकर कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधियों में जिप्सम बोर्ड पर 4 प्रतिशत की दर से कर प्रभारित करते हुए विक्रय करने में कर का कोई अपवंचन नहीं किया गया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण करते हुए अंतर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित करने हेतु वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के प्रकरणों में करापवंचन नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। इससे भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन होना अवधारित करते हुए प्रकरणों में क्षेत्राधिकार प्राप्त किया जाकर करारोपण हेतु पारित किये गये आदेश अवैध एवं अनुचित होने को बल मिलता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से आरोपित अन्तर कर व ब्याज की पुष्टि करने हेतु पारित अपीलीय अधिकारी के आदेश भी अपास्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय कर बोर्ड के मैसर्स होण्डा सिएल पॉवर प्रोडक्ट लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन लगातार.....:5

, राजस्थान -III जयपुर के न्यायिक दृष्टांत (2002) 3 टैक्स अपडेट 320, मैसर्स रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के न्यायिक दृष्टांत 6 एसीटीओ 230, मैसर्स डेड्स मेडिकल स्टोर्स लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन के न्यायिक दृष्टांत 10 एसटीए 281 एवं माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के मैसर्स डी.के. वूलन इण्डस्ट्रीज लि. बनाम सीटीओ के न्यायिक दृष्टांत (1998) टैक्स वर्ल्ड 14 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि जिप्सम बोर्ड, जिप्सम का ही एक रूप (form) होने के कारण यह वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 में शुमार है। "Gypsum in all its forms" की प्रविष्टि के अन्तर्गत आच्छादित होने से 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतएव अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जिप्सम बोर्ड को भिन्न वाणिज्यिक उत्पाद मानकर इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर संदेय होने हेतु पारित किया गया आदेश अविधिक है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की ओर से आरोपित 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर को यथावत रखने में विधिक भूल की गयी है।

9. इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत जे.के. सिन्थेटिक्स लि. बनाम सीटीओ 94 एसटीसी 422 एवं मैसर्स मारुति वॉयर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम सीटीओ के न्यायिक दृष्टांत 122 एसटीसी 410 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ईस्ट इण्डिया होटल्स लि. बनाम राजस्थान राज्य के न्यायिक दृष्टांत 9 एसटीटी 309, 355 को प्रोद्धरित करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आरोपित अनुवर्ती ब्याज की पुष्टि करना त्रुटिपूर्ण होने से अपास्तनीय है।

10. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए अतिरिक्त आयुक्त का विवादित आदेश दिनांक 27.09.2007 को अपास्त कर यह अभिनिर्णित किया जावे कि जिप्सम बोर्ड वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" के अन्तर्गत आने से इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर संदेय होगा तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के विवादित कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जावे।

11. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वेट अधिनियम की अनुसूची -IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" में केवल जिप्सम के ही विभिन्न रूप/प्रकार कवर होते हैं, न कि जिप्सम से उत्पन्न सभी उत्पाद। उनका अग्रिम कथन है कि "Gypsum in all its forms" का अभिप्राय जिप्सम के वे सभी रूप हैं, जो जिप्सम अपना मूल आकार (Shape) अथवा प्रकृति (character) को पूर्णतः खोये बिना ग्रहण कर सकती है। अतः जिप्सम को पीसकर/गर्मकर इसमें अन्य उत्पादन/अवयव (ingredients) मिश्रित किये जाकर अतिरिक्त क्रियाविधि द्वारा रूप परिवर्तन (transformed) के पश्चात विनिर्मित जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स पूर्णतया भिन्न वाणिज्यिक उत्पाद होने

लगातार.....6

से इसे जिप्सम का ही एक रूप नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आयुक्त का विवादित आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित हे तथा इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रोद्धारित किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के अभिनिर्णयों से संबंधित प्रकरणों के तथ्य, विधिक स्थिति एवं माल के वर्गीकरण की प्रविष्टियां अपीलार्थी के प्रकरणों से पूर्णतया भिन्न होने के कारण इनमें प्रतिपादित सिद्धांत अपीलार्थी व्यवहारी के वर्तमान प्रकरणों में लागू नहीं होते हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया जाकर प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया।

13. इन प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि व्यवहारी मैसर्स इण्डिया जिप्सम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपने उत्पाद जिप्सम बोर्ड के विक्रय पर कर देयता संबंधी विधिक बिन्दु के निर्धारण हेतु वेट अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जिप्सम बोर्ड को वेट अधिनियम की अनुसूची -IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" के अन्तर्गत नहीं आना मानकर इसके विक्रय पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता होने का विनिश्चीकरण (determination) दिनांक 27.09.2007 को पारित किया गया है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थलों की जांच के पश्चात व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all tis forms" के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होना मानकर इस परिशिष्ट-V के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55व 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.10.2007 को पारित किये जाकर अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। व्यवहारी की ओर से इन कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2010, 10.01.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त कर आरोपित अंतर कर व ब्याज की पुश्ति करते हुए यथावत रखा गया है।

14. प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण एवं जांच के फलस्वरूप आलौच्य अवधियों में विवादित उत्पाद का गलत वर्गीकरण किया जाकर इसकी बिक्री पर अधिसूचित कर दर से कम दर परकर का संदाय करना पाये जाने पर कर अपवंचन/परिवर्जन का मामला मानते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर की अधिसूचना संख्या एफ.ए.(9)ज्यूरिस/टैक्स/सीसीटी/97 दिनांक 01.04.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार क्षेत्राधिकारिता ग्रहण की जाकर पारित किये गये कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत एवं उचित है। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस संबंध में उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

15. इन प्रकरणों में विवादित उत्पाद "जिप्सम बोर्ड" के विनिर्माण संबंधि विशेष प्रकार की प्रक्रिया क्रम/चरण मुख्य रूप से निम्न प्रकार है :-

- (1) Raw Material (2) Crusher (3) Grinding Mill (4) Calcine System (5) Stucco Holding Tank (6) Mixer (7) Forming Station (8) Board Line (9) Cut-off Knife (10) Transfer Table (11) fiil (12) Bundler & Stacker

इस प्रकार जिप्सम बोर्ड के विनिर्माण की विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत पहले प्राकृतिक/कच्ची जिप्सम (Calcium sulphate dehydrate) को पीसकर (crushed) एवं घिसने (grind) के बाद बारीक पाउडर में तब्दील कर इसे अत्यधिक तापमान (लगभग 350 डिग्री एफ) तक गर्म किया जाकर 3/4 पानी सुखाकर जाता है अर्थात् (calcining) प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। तत्पश्चात् उक्त calcined gypsum (hemihydrate) का जिप्सम प्लास्टर, जिप्सम बोर्ड एवं अन्य जिप्सम उत्पादों का निर्माण करने हेतु मूल/आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। जिप्सम बोर्ड के निर्माण हेतु calcined gypsum में पानी मिलाकर एवं विभिन्न गैस (फॉम आदि) व तरल मिश्रण (admixture) को समाविष्ट किया जकार Slury बनाकर इसे बोर्ड मशीन (फॉमिंग स्टेशन) पर पेपर की सतत परतों के बीच भरा जाता है एवं जिप्सम बोर्ड के कन्वेयर लाईन पर नीचे चलने पर कैल्सियम सल्फोज पुनः क्रिस्टलाइज होकर अन्तर्भाग के साथ पेपर यंत्रवत (mechanically) व रासायनिक रीति से (chemically) चिपक (bonded) जाता है। तत्पश्चात् विभिन्न साइज में बोर्ड काटकर स्वाभाविक आर्द्रता को दूर करने हेतु ड्राइअर्स (dryers) में से ले जाया जाता है।

16. अतएव जिप्सम बोर्ड के विनिर्माण की उक्त विशेष प्रकार की प्रक्रिया के दौरान अन्य उपयोग (ingrdeients) मिश्रित किये जाकर इसमें उपयोग ली गई जिप्सम कां मूल स्वरूप एवं प्रकृति पूर्णतया नष्ट होत जाती है एवं तदनुसार परिवर्तित जिप्सम बोर्ड को वाणिज्यिक रूप से एवं सामान्य बोलचाल की भाषा (common parlance) दोनों में ही उत्पाद अथवा इसके किसी स्वरूप (form) से भिन्न उत्पाद समझा व जाना जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न अभिनिर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि कराधान (taxation) के मामलों में common parlance का सिद्धान्त लागू होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारीगण के उत्पाद जिप्सम बोर्ड के विनिर्माण की विशेष प्रक्रिया एवं इसमें प्रयुक्त जिप्सम की पहचान/विशिष्टता नष्ट हो जाने तथा commercial एवं common parlance में जिप्सम बोर्ड को जिप्सम में भिन्न वाणिज्यिक उत्पाद समझा जाने के कारण जिप्सम बोर्ड को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" के अन्तर्गत आच्छादित होना नहीं माना जा सकता।

17. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1967) 9 एसटीसी 24 में विवादित उत्पाद patasa, hadsa, alchidand, sugar candy में 90 प्रतिशत से अधिक शुकरोज होने एवं इनके विनिर्माण की प्रक्रिया में शुगर की पहचान एवं सारभूत विशेषता परिवर्तित नहीं होने से इनको बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1959 की अनुसूची-ए मद संख्या 47 की प्रविष्टि "शुगर" के अन्तर्गत कवर्ड होना अवधारित करते

लगातार.....8

हुए करमुक्त माना गया है। माननीय देहली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1972) 30 एसटीसी 88 से संबंधित प्रकरण में केन्द्र शासित राज्य देहली में प्रभावी बंगाल वित (सेल्स टैक्स) अधिनियम, 1941 की द्वितीय अनुसूची के आईटम संख्या 1 की प्रविष्टि "all cereals & pulses including all forms of rice" के संदर्भ में यह अवधारित किया गया है कि parched rice, चना एवं दाल अनाज ही रहते हैं।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1978) 41 एसटीसी 395 से संबंधित प्रकरण में आंध्रप्रदेश सामान्य सेल्स टैक्स, एक्ट 1957 की धारा 5(2)(ए) की प्रथम अनुसूची के मद संख्या 66(बी) की प्रविष्टि "Rice obtained from paddy that has met tax under this Act" के संदर्भ में rice के अन्तर्गत Atukulu (parched rice) एवं muramaralu(puffed rice) को भी आच्छादित होना अवधारित किया गया है। माननीय आसाम उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1954) 5 एसटीसी 365 से संबंधित प्रकरण में आसाम सेल्स टैक्स एक्ट 1947 की अनुसूची 3 के मद संख्या 1 की प्रविष्टि "all cereals & pulses including all forms of rice" के संदर्भ में चिवडा एवं मुरमुरे को cereals के अन्तर्गत कवर्ड होना मानते हुए यह अवधारित किया गया है कि **"that where cereals are sold along with other commercial articles they lose the priviledge or exemption Baring this, if they remain cereals unmixed .& unaldutereated with other commercial commodities & are capable of being described as cereals, they remain exempt."**

19. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1971) 28 एसटीसी 603 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(i) की प्रविष्टि "Coal" include coke in all its forms के परिपेक्ष्य के petroleum coke, coke का ही एक रूप होने से declared goods अन्तर्गत आने से इसकी बिक्री पर आसाम सेल्स टैक्स एक्ट 1947 के तहत करदेयता केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15(ए) में निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2007) 15 टैक्स अपडेट 115 के प्रकरण में उत्तरप्रदेश सेल्स टैक्स एक्ट 1948 की धारा 4बी के तहत अधिसूचना दिनांक 31.12.1976 सपठित दिनांक 29.08.1987 की प्रविष्टि "Glass & glassware including optical glass in all forms" के संदर्भ में व्यवहारी द्वारा निर्मित toughened safety glass including wind screen, door screen, side & back screens को "glass" & "glassware" in all forms के अन्तर्गत कवर होना अवधारित करते हुए करमुक्त माना गया है।

20. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये उक्त न्यायिक दृष्टांतों से संबंधित प्रकरणों के विधिक प्रावधान एवं करदेयता अथवा करमुक्त प्रायोजनार्थ माल के वर्गीकरण संबंधी एन्ट्री के संदर्भ में विवादित माल के वर्गीकरण का निर्वचन करते हुए पारित उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अभिनिर्णय, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" की पूर्णतया भिन्न एन्ट्री के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी के वर्तमान प्रकरणों में लागू नहीं होते हैं।

21. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी उद्धरित माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2009) 25 वीएसटी 210 से संबंधित प्रकरण में महाराष्ट्र वेट अधिनियम 2002 की अनुसूची "सी" के मद संख्या 41 की

प्रविष्टि "gypsum of all forms & descriptions" के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1967) 19 एसटीसी 24 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में जिप्सम बोर्ड को expressions "forms & descriptions" के अन्तर्गत आच्छादित होना अवधारित किया गया है।

22. इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के राजस्थान रोलेर फ्लोर मिल्स एसोसियेशन व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आदि प्रकरणों से संबंधित अभिनिर्णय (1993) 91 एसटीसी 408 का अवलोकन करना समीचीन होगा। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के न्यायिक दृष्टांत (1967) 19 एसटीसी 24 एवं (1978) 41 एसटीसी 394 की विवेचना की जाकर इनको प्रश्नगत मामले में अन्तर (distinguish) करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1656 की धारा 14(1)(iii) की प्रविष्टि "गेहूं" से अभिप्राय बाबत गेहूं से उत्पन्न आटा (flour), मैदा (maida) व सूजी (suji) गेहूं से भिन्न वस्तु (commodity) होने के सम्बन्ध में भिन्न प्रकार अवधारित किया गया है।

"Certain decisions of High Courts have been brought to our notice by counsel for both sides, we do not think that it would be of any help on the questions at issue since those decisions turned upon the particular language of the relevant enactments and the scheme of entries therein."

For the above reasons, we hold that flour, maida and suji derived from wheat are not "wheat" within the meaning of section 14(i)(iii) of the Central Sales Tax Act. Flour, maida and suji are different and distinct goods from wheat. In other words, flour, maida and suji are not declared goods."

23. अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" की पूर्णतया भिन्न एन्ट्री के परिपेक्ष्य में महाराष्ट्रा वेट अधिनियम की अनुसूची 'सी' के मद संख्या 41 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms & descriptions" के संदर्भ में जिप्सम बोर्ड के वर्गीकरण का निर्वचन करते हुए पारित किया गया माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (2009) 25 वीएसटी 210, अपीलार्थी के वर्तमान प्रकरणों के संबंध में प्रांसगिक नहीं है।

24. ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा मैसर्स जिप्सम इण्डिया लिमिटेड की ओर से जिप्सम बोर्ड पर कर देयता के विधिक बिन्दु के निर्धारणा हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर उनके उत्पाद जिप्सम बोर्ड को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" के अन्तर्गत कवर नहीं होना अवधारित करते हुए उसे 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने संबंधी वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित निर्णय दिनांक 27.09.2007 पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

25. उक्त विवेचन के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधियों में विक्रय किये गये विवादित उत्पाद जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के मद संख्या 56 की प्रविष्टि "Gypsum in all its forms" के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होना विनिश्चयीकरण किये जाने का आदेश जो विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) द्वारा पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने मैसर्स लाहिया एजेन्सीज,

लगातार.....10

जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2012) टीयूडी वोल्यूम 34 पार्ट 8 पृष्ठ संख्या 323 में भी उक्त मत को पुष्ट किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के उक्त आदेश के अनुसरण में उक्त आईटम्स पर कर देयता वेद अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार 12.5 प्रतिशत दर से मानते हुए तदनुसार अंतर कर आरोपण हेतु पारित किये गये निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत एवं उचित हैं।

26. जहां तक ब्याज का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स रस्तोगी स्टील्स के न्यायिक दृष्टांत (2003) 6 टैक्स अपडेट 317 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर की राशि जमा होने में हुए विलम्ब अवधि का नियमानुसार अनुवर्ती ब्याज आरोपित किया जाना भी न्यायसंगत है। अतएव अपीलार्थी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेशों से आरोपित अंतर कर व ब्याज को यथावत रखते हुए पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं न्यायसंगत है तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है।


27. राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील क्रम संख्या 9 से 15 में अपीलीय अधिकारी ने जिप्सम बोर्ड/टाईल्स की बिक्री पर विवरणियों में कम कर दर से दर्शाये गई बिक्री पर करवंचना मानते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने पर प्रस्तुत उक्त अपीलों के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-


- 1- M/s Hindustan Steel Ltd Vs State of Orissa 25 STC 211
- 2- M/s Cement Marketing Co. of India Ltd. Vs Assisstant Commissioner of Sales Tax 1980 45 STC 197
- 3- ACTo Vs Kumawat Udyog Ltd. 97 STC 238
- 4- CTO AC Zone-I, Jaipur VS Shayam Agency S.B Sales Tax Petition 42/2014 dated 26-08-2014
- 5- 23 VST 249 (SC)
- 6- 143 STC 663. (RHC)
- 7- 27 Tax Update 43
- 8- 25 Tax Update 189 (RTB)
- 9- 322 ITR 158(SC).

उपरोक्त दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के दृष्टिगत की जब मामला कर दर वर्गीकरण से संबंधित हो तथा समस्त संव्यवहार हिसाबी रिकार्ड में अंकित किये गये हो/विवरणियों में प्रदर्शित किये गये हो तो, ऐसे प्रकरणों में शास्ति आरोपण को अनुचित माना गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के दृष्टिगत विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपीलों में शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों अस्वीकार की जाती है एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की इस हद तक पुष्टि की जाती है।

28. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलों अस्वीकार की जाती है। साथ ही राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों भी अस्वीकार की जाती है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) एवं अपीलीय अधिकारी के विवादाधीन उक्त आदेशों की पुष्टि की जाती है।

29. निर्णय सुनाया गया।


9.11.2016
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष